

उ०प्र०आवास एवं बिदात बरिषाद: 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 23-4-90 को हुई तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 23-4-90 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री रामभु नाथ		अध्यक्ष
2-	श्री अनिल कुमार	आवास आयुक्त	सदस्य
3-	श्री रमेशचंद्र दीक्षित	विशेषा सचिव बिदात बिदात सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
4-	श्री तुभाधा चन्द्र बहुवाजडी	संयुक्त सचिव, आवास आवास सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
5-	श्री जे०पी०मार्गब	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक	सदस्य
6-	श्री जे०पी०सिंह	अधर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

बैठक में बिहार-बिहार के पश्चात् निम्न घटों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 30-3-90 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	तृतीय/111/90	दिनांक 30-3-90 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	हरपुर भाूमि बिकास एवं गृहस्थान योजना अलिया के खतरे नं० 56, 57, 58 श्री जगन्नाथ के बंधा में अर्जनमकत किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/121/90	अगली बैठक हेतु बिधायार्थ स्थापित।
3-	गुरुतैग बहादुर योजना झंझारबाद में किस्थानकित पंजीकृत व्यवस्था हेतु भाूमि दर का निर्धारण।	तृतीय/131/90	बरिषाद ने बिहार-बिहार के उपरान्त इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
4-	राजपुर भाूमि बिकास एवं गृहस्थान योजना, राजपुर में श्री अब्दुल रज्जोक की भाूमि खतरे 154 में तै ग्रासनादेश के अन्तर्गत कच्ची एवं अजारी की भाूमि 1.10 एकड़ को योजना में समाविष्ट करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/141/90	अगली बैठक हेतु बिधायार्थ स्थापित।
5-	राजपुर रोड भाूमि बिकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 देहरादून में तमाकित भाूमि आखाने राजपुर रोड खतरे नं०-284/1 तथा 285/1 की भाूमि छोड़े जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/151/90	अगली बैठक हेतु बिधायार्थ स्थापित।
6-	राजपुर भाूमि बिकास एवं गृहस्थान योजना सं०-4 राजपुर के सम्बन्ध में।	तृतीय/161/90	-सदस्य-

1	2	3	4
7-	विश्विल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-5 बरेली के सम्बन्ध में।	तृतीय/171/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थागित।
8-	जनपद मजफ्फरनगर में तजड़ गांव किसानों को आवासीय में दी गयी भूमि विभाजक आवासन सं०-301/86	तृतीय/181/90	परिषद ने यह निर्णय लिया कि चूंकि 8 हेक्टेर विस्थापित इस योजना में बचते थे जिनके पास अधिग्रहण के उपरान्त 8 बीघों से कम जमीन बचती थी परन्तु इन सभी काश्तकारों के द्वारा प्रतिकर धारणा प्राप्त की जा चुकी है अतः इन्हें नियमानुसार वहीं विस्थापित पट्टान की जाय जो 3000 आबात एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भावन के पंजीकरण एवं पट्टेयन सम्बन्धी विनियमावली-1979 (बटा तशरीहीत जन-1986 तक) के विनियम-3311 के अन्तर्गत विस्थापितों को देय है। चूंकि अधिग्रहीत भूमि के बराबर भूमि विस्थापितों को आवंटित करने का प्रावधान परिषद नियमों में नहीं है अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।
9-	मेरठ योजना सं०-7 में प्लान नं०-3957 व 3958 का जिला प्रशासन मेरठ द्वारा परिवहन विभाग को आवंटित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/191/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थागित।
10-	परिषद योजनाओं में परिषद के धर्मों हेतु आरक्षित भावनों की आवश्यकता न रहने पर उसका निस्तारण।	तृतीय/1181/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थागित।
11-	परिषद की इन्दिरा-नगर योजना के अन्तर्गत श्री 80पीठ सिंह, आइ०ए० एल० को भावन सं०-18/453 के बट्टे भाग सं० सी०-304 आवंटित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1111/90	-तदैव-
12-	श्री भानु प्रताप सिंह भातलवं सैतद सदस्य एवं विधान सभा सदस्य को योजना सं०-4 बरेली में निर्मित 9 उच्च आय वर्ग भावनों में भातल का एक भावन आवंटित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1121/90	-तदैव-
13-	दिल्ली वर्षा 1981-82 से बैलेन्सशीट पर सम्परीक्षण आख्या के सम्बन्ध में पुस्तक आख्या।	तृतीय/1131/90	परिषद ने बैलेन्सशीट का परीक्षण किया और विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से पुस्तक को अनुमोदित किया।
14-	दिल्ली वर्षा 1982-83 की बैलेन्सशीट पर सम्परीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।	तृतीय/1141/90	परिषद ने बैलेन्सशीट का परीक्षण किया और विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से पुस्तक को

1	2	3	4
15-	वित्तीय वर्ष 1985-86 के आर्थिक विट्ठा एवं आव-व्यय खाता को आडिट कराने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1151/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वतम्मत से प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया।
16-	वित्तीय वर्ष 1986-87 के आर्थिक विट्ठा एवं आव-व्यय के खाता को आडिट कराने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1161/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वतम्मत से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
17-	विद्युत् कार्याधिकारी के पद के सम्बन्ध में।	तृतीय/1171/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थागित
18-	कानपुर स्थित विभिन्न योजनाओं के लिये विकास कार्यों में व्याप्त अवरताओं के सम्बन्ध में।	तृतीय/1181/90	-तदैव-
19-	श्रीमती कान्ता गरमानी महावक श्रेणी-तृतीय को दिनांक 7-8-89 से दिनांक 30-11-89 तक का प्रसूति सुबकार्य विरोधा परिस्थितियों में त्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1191/90	परिषद ने श्रीमती कान्ता गरमानी, महावक श्रेणी-तृतीय के पुकरण के साथ श्रीमती सुभाषा धामन, महावक श्रेणी-प्रथम के पुकरण पर विचार-विमर्श किया और सर्वतम्मत से प्रस्ताव को त्वीकृत प्रदान की।
20-	कार्य प्रभारित बिजली मित्री के बेतुमान धनरी खात किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1201/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया कि इस प्रस्ताव को पुनः परीक्षा कराकर परिषद की अगली बैठक में रखा जाव।
21-	परिषद के ठेकेदारों की विरोधा श्रेणी में त्वीकृतता हेतु गाइडलाइन्स	तृतीय/1211/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थागित।
22-	नायकन समिति का पुनर्गठन।	तृतीय/1221/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त समिति के पदेन अपर आवास आशुक्त एवं तयिब, महय अशुयन्ता एवं महय वास्तुविद नियोजक को नामित किया और यह भी निर्णय किया कि भाविष्य में परिषद में जो समितियाँ बनायी जायेगी उनमें समितियों के सदस्य पदेन होंगे।
23-	गण नियंत्रण सैनअल पार्टी 2 के सम्बन्ध में।	तृतीय/1231/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थागित।
24-	परिषद योजनाओं का नामांकन।	तृतीय/1241/90	-तदैव-
25-	परिषद की बैठक दिनांक 30-3-90 को अनुपालन आख्या।	तृतीय/1251/90	परिषद की बैठक दिनांक 30-3-90 के लिये गये निर्णय के अनुपालन से परिषद को अवगत कराया गया।
26-	सामान्य श्रेणी की रिक्त छुट-पुट सम्पत्तियों के विरुद्ध पंजीकरण एवं आवंटन की अनुमति के सम्बन्ध में।	तृतीय/1261/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वतम्मत से प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया।

1	2	3	4
27-परिषद की बैठक/हालात • योजना गैरलापर में 500 कर्मियों का एक माध्यम नियमानुसार स्वयं प्रोत्साहित कर विचार-विमर्श श्री डेरी डॉक्टर निर्धारण के माध्यम से जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1271/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थापित।	
28-परिषद की विभिन्न लाइन्स • योजना 80-4 बेली में निर्मित आवास कार्यक्रम के द्वारा 80-81 रैटिफिकेशन/उपग्रह वित्त निगम के पक्ष में आवंटित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1281/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।	
29-श्री लंका (आफिस) में • भारतीय इरानि सेना के पद के दूध अंश एवं मूल तैमिको के माध्यम से आवृत्त कृषि कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1291/90	-तटैव-	
30-परिषद अधिकाधिक • कर्मचारियों को दिनांक 22-12-84 से 8-12-88 तक की अवधि में प्रोत्साहित तुल्य आरक्षण मातृ/पिता में माध्यमों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत भूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1301/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।	
31-माधन 80-37 आयुक्त डेरी • योजना, लखनऊ का श्रीमती महाता मिश्रा, माननीय मंत्री गैरलापर एवं योजना राज्य/क्षेत्रीय विकास एवं राष्ट्रीय स्वीकरण, उपग्रह माधन, लखनऊ के पक्ष में आवंटित।	तृतीय/1311/90	परिषद ने इस विषय पर महाराष्ट्र में विचार-विमर्श किया और यह निर्देश दिये कि महाराष्ट्र के अनुसार जो प्रावधान प्रतिक्रिया है उत्तरी प्रदेश सरकार इस स्वीकृति प्रदान की जाय।	
32-परिषद में कम्प्यूटर सुचारु • लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत आस्था।	तृतीय/1321/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थापित।	
33-उपग्रह आवास एवं विमान • परिषद इंजीनियरिंग विभाग रेगुलेशन 1973 में संशोधन दिये जाने हेतु।	तृतीय/1331/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।	
34-एनिस एलए और इन्डिया • में 300 लाख की विविध जमा/शुभा प्राप्त किया जाना।	तृतीय/1341/90	-तटैव-	
35-परिषद की योजना 80-1 • पंगल पांडे म्यार/मैरु में बहुभाषीय काम विधि कम्पलेक्स स्वयं वित्त परिषद माध्यम पर प्रोजेक्ट को के सम्बन्ध में।	तृतीय/1351/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट के स्थापक प्रसार के बाद प्रोजेक्ट को दिया जाय तथा इतनी मात्रा में स्वीकृति की जाय जितनी कि इस योजना में होने वाले व्यय की प्रति ही जाय और उसके बाद अन्य आवंटकों को परिषद नियमानुसार नीलापी प्रकार आवंटित किया जाय।	

1	2	3	4
36- हल्द्वार योजना बलिया के • कालिका-195 के न्यायलय आदेश के अनुसार पुनः आपत्ति समझौते करने के पश्चात् निर्माण विधिति के निर्माण की मांग-31/21 के अन्तर्गत स्वीकृति पत्रान करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1361/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया।	
37- डूंगी योजना तं0-3 • हलाहलबाद में शासन द्वारा परियोजना के अन्तर्गत 231 अल्प दुर्बल आय वर्ग 13/23 प्रकार के भावनों के पुनरीक्षित प्रासासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/1371/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	
38- विकासनगर योजना, लखनऊ में • तैरहवीं हड़की परियोजना के अन्तर्गत तैरहवीं नम भावनों के निर्माणप्राधान्य 76 नम 56/121 प्रकार के मध्यम आय वर्ग भावनों की पुनरीक्षित एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/1381/90	-तैरह-	
39- अयोध्या मार्ग योजना, वित्तीय। • वरणा किशाबाद के तृतीय हड़की परियोजना के अन्तर्गत 12 नम अल्प आय वर्ग 12/60 प्रकार के भावनों की पुनरीक्षित एवं प्रासासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/1391/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया।	
40- डूंगी योजना तं0-3 हलाहलबाद • में वित्तीय हड़की परियोजना के अन्तर्गत 380 नम अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार के भावनों के पुनरीक्षित प्रासासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/1401/90	-तैरह-	
41- मुँघट्टी योजना, लोनापुर • के परिषद परियोजना के अन्तर्गत 3 नम मध्यम आय वर्ग 3/79 प्रकार के भावनों की पुनरीक्षित प्रासासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्मित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/1411/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	
42- डूंगी योजना तं0-2 • हलाहलबाद में परिषद परियोजना के अन्तर्गत 15 नम दुर्बल आय वर्ग 97/242 प्रकार के भावनों की पुनरीक्षित एवं प्रासासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/1421/90	-तैरह-	
43- अयोध्या मार्ग योजना • किशाबाद के वित्तीय वरणा के तृतीय हड़की परियोजना के अन्तर्गत 64 नम दुर्बल आय वर्ग 12/49 प्रकार के भावनों की पुनरीक्षित प्रासासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/1431/90	-तैरह-	
44- विकास नगर योजना, लखनऊ • के तैरहवीं में परिषद परियोजना के अन्तर्गत 17	तृतीय/1441/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	

1	2	3	4
<p>संख्या 53/127 प्रकार के अधिकांश अल्प बसे भावनों की धनहीनता प्राणतनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p>			
<p>45-हैली योजना सं०-3 इलाहाबाद में प्रधान इडडी परियोजना के अंतर्गत 1092 नए टुकड़े आए जिनमें 18/30 प्रकार के भावनों की धनहीनता प्राणतनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p>	<p>तृतीय/1451/99</p>	<p>परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वतन्मति से प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया।</p>	
<p>46-परिषद में तीन वर्गों में निरन्तर कार्यरत अन्तर रोल कर्मचारियों के नियमितकरण के सम्बन्ध में।</p>	<p>तृतीय/1461/99</p>	<p>परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि इस विषय में विचार प्राधिकरणों और नगर मालिकों के साथ के सम्बन्धों द्वारा ही यह विषय निपटा जायेगा अतः परिषद मामलों की स्वीकृति के लिये संतुष्टि करेगी।</p>	
<p>47-कार्य प्रभावित रिक्त वर्गों पर नियमित हेतु विधायक के निर्धारण के बारे में।</p>	<p>तृतीय/1471/99</p>	<p>परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।</p>	
<p>48-वर्तमान में कार्य प्रभावित कर्मचारियों को हेतुवर्ग में प्रोन्नत करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>तृतीय/1481/99</p>	<p>परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि प्राथमिक विधायक विभाग के प्राणकारी प्रस्ताव को परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।</p>	
<p>49-इसवीली योजना, मिर्जापुर में 7 टुकड़ों एवं कबीर नगर योजना काशी में 4 गैरराज एवं प्रधान तक पर 4 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणतनिक वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p>	<p>तृतीय/1491/99</p>	<p>परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वतन्मति से स्वीकृति प्रदान की।</p>	
<p>50-मेरठ में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।</p>	<p>तृतीय/1501/99</p>	<p>-तटैठ-</p>	
<p>51-परिषद की इलाहाबाद में योजना में 3000 हेक्टेयर प्राणतनिक कार्यालयों की प्राणतनिक प्राणतनिक केन्द्र के लिये दो हजार मीटर भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>तृतीय/1511/99</p>	<p>-तटैठ-</p>	
<p>52-परिषद की केन्द्रीय प्रयोगशाला में बाहरी संस्थाओं के नमूनों के प्राणतनिक की सुविधा दिव्य करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>तृतीय/1521/99</p>	<p>परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि यदि प्रयोगशाला में परिषद के कार्यों के अतिरिक्त बाह्य का कार्य देने की दायरता हो तो बाहरी संस्थाओं को नमूने की परीक्षा की सुविधा प्रदान की जाय।</p>	

